न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 40 / 2019 / प्रथम अपील

ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष– भ्रष्टाचार विरोधी समाज कल्याण संस्था (रजि.), ग्राम मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)– 332312

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 04 नवम्बर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **ओम प्रकाश शर्मा** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 15.07.2019 द्वारा राशन व केरोसीन वितरण दुकान धारक माण्क चन्द ढ़ाका, FPS कोड 21758, ग्राम हरसावा बड़ा, पंचायत समिति फतेहपुर से सम्बन्धित 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की के मध्य की निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

   (1) मास्टर कार्ड रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (2) स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (3) निरीक्षण पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (4) केश मीमो की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (5) माहवार आवंटन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।

   साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता तथा आपके विभाग में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा सूचना को संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता बताएं।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्रीमती सुनिता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, नीमकाथाना उपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **23.10.2019** द्वारा अवगत करवाया गया है कि :–

   (1) बिन्दु संख्या 1 के सन्दर्भ में मास्टर कार्ड रजिस्टर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

   (2) बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना वित्तीय वर्ष 2018–19 से पूर्व की होने के कारण उचित मूल्य दुकानदार ने वर्तमान में उपलब्ध नहीं होना अवगत करवाया है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पित्तीय वर्ष 2015–16 की होने के कारण कार्यालय में ऑनलाईन संधारित सूचना में भी सम्मिलित नहीं है। विभाग द्वारा जिले में वर्ष 2016 से पॉस मशीन के माध्यम बायोमैट्रिक सत्यापन प्रणाली पश्चात राशन सामग्री का वितरण करवाया जा रहा है। उक्त अवधि के पश्चात की वितरण सूचना ऑनलाईन उपलब्ध है। खाद्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकानदार को वितरण से सम्बन्धित रिकॉर्ड एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यापार परिसर में सुरक्षित रखने के निर्देश हैं। वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है। अतः सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

   (3) बिन्दु संख्या 5 के सन्दर्भ में सूचना कार्यालय में संधारित की जाती है। आवेदक को पूर्ण सूचना उपलटध करवा दी गई है।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना, कार्यालय के पत्र दिनांक **23.10.2019** द्वारा बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित एवं विधि सम्मत है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर